

प्रश्न,

शिव कुमार पाठक,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
30प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10

लखनऊ दिनांक 04 जन. 2018

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में नलकूप खण्ड-प्रथम, गाजीपुर की केन्द्रीय कार्यशाला के आधुनिकीकरण की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0 लखनऊ के पत्रांक-1892/09-08/सिंचाई कार्यशालानलकूप(नियंत्रण), दिनांक 23.02.2018 एवं पत्रांक-3198/09-08/सिंचाई कार्यशाला/नलकूप(नियंत्रण), दिनांक 20.04.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में नलकूप खण्ड-प्रथम, गाजीपुर की केन्द्रीय कार्यशाला के आधुनिकीकरण की परियोजना हेतु कुल अनुमोदित लागत रु0 17,04,000/- (रुपये सत्रह लाख चार हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के पत्र-318 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर शासन स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा शासन स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- (2) मासुओं की निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।
- (3) प्रारम्भिक स्वीकृति परिषद के अन्तर्गत ही निर्मित की जाएगी।
- (4) प्रयोजना का निर्माण कार्य समय पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (5) स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
- (6) स्वीकृति धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजना पर ही किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की जलियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि एकमुहूर्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर अनुमोदित कार्य पर व्यय की जाएगी तथा आहरित धनराशि बैंक/ड्राफ्ट/पी0एच0ए0/डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।
- (8) विभागाध्यक्ष नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लेशवैश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराए।
- (9) प्रयोजनावर्तित प्रस्तावित कार्यों की दृष्टिकोण (डुप्लीकेसी) का रोकने की दृष्टि से प्रयोजना की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लें कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

G-701
06/7/18

- (10) उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट सैनुजल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
 - (11) 01 प्रतिशत लेबरसेंस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
 - (12) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के संपरीक्षित लेखे शासन को उपलब्ध कराये जाएंगे।
 - (13) विभागाध्यक्ष अधिष्ठात व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवदित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा करायी जाए। अधिष्ठात व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-94 के अंतर्गत लेखाशीर्षक '4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-03-नलकूप योजनाएं -0316-खण्डीय कार्यशालाओं में स्थापित उपकरण एवं संयंत्रों का आधुनिकीकरण एवं पुनःस्थापना-24 वृहत निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।
- 4- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के आदेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी की जा रही है।

भवदीय,

(शिव कुमार पाठक)
संयुक्त सचिव

संख्या-1018(1)/सत्ताइस-10-18, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 3090, इलाहाबाद।
 - (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 3090, इलाहाबाद।
 - (3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, 3090, लखनऊ।
 - (4) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई विभाग, 3090, लखनऊ।
 - (5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
 - (6) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप) सिंचाई विभाग, 3090, लखनऊ।
 - (7) मुख्य अभियंता (नलकूप वाराणसी), सिंचाई विभाग, 3090, वाराणसी।
 - (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/सिंचाई अनु0-9/निर्णयन अनु0-13
 - (9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
 - (10) गार्ड बुक (बजट)।



आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
संयुक्त सचिव